

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 06/08/2021


क्रमांक 1749/1886/2021/38/1 :: दिनांक 01.01.2009 की स्थिति में सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पदनाम दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 को आयोजित की गई, जिसके अनुक्रम में क्रमशः दिनांक 13.06.2018 को आदेश जारी किये गये।

2/ डॉ. अंजली पाण्डेय, सह प्राध्यापक, चित्रकला, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल द्वारा लेख किया है विभाग के आदेश दिनांक 13.06.2018 द्वारा उनकी सहकर्मी को दिनांक 01.01.2009 से प्राध्यापक पदनाम प्रदाय किया है, किन्तु उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है। साथ ही डॉ. पाण्डेय द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी चयन सूची दिनांक 15 दिसम्बर, 1992 से नियुक्ति दिनांक 29 अप्रैल, 1999 तक की "सेवा अवधि की गणना" किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3/ यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1990 में यह प्रावधान है कि ऐसे सहायक प्राध्यापक, जिन्होंने 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर ली है एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000-420-18300 प्राप्त कर लिया हो, प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति/पदनाम के पात्र होंगे।

4/ डॉ. पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परीक्षणोपरांत पाया गया कि दिनांक 01.01.2009 की स्थिति में नियमित सेवा अवधि 13 वर्ष से कम हो रही है तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी चयन सूची के दिनांक से, नियुक्ति आदेश जारी होने तक की अवधि को सेवा की गणना में किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अंजली पाण्डेय, सह प्राध्यापक, चित्रकला, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( श्वेता प... )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 06/08/2021


पृ.क्रमांक 1750/1886/2021/38/1

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,



2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर,
  3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल,
  4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
  5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग, भोपाल,
  6. प्राचार्य, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल
  7. संबंधित डॉ. अंजली पाण्डेय, सह प्राध्यापक, चित्रकला, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल
  8. आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग